416

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–5)

प. 27 (36) ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/बीएसआर साफ्/पार्ट–।।/2015–16 जयपुर, दिनांक 17 सितम्बर, 2015

–:बैठक कार्यवाही विवरण:–

बीएसआर साफ्टवेयर के प्रभावी कियान्वयन एवं वर्तमान साफ्टवेयर मे पाई गई विसंगति एवं नवीन आईटम जोडे जाने व उनके दर विश्लेषण के निर्धारण आदि की समीक्षा के कम में शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.2015 को एक बैठक आयोजित हुई जिसमे निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया है।

1. श्री एल के अग्रवाल, अति मुख्य अभियन्ता, पंचायती राज।
2. श्री सिरमौर मीणा, वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास।
3. श्री मुकेश महेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.) ,पंचायती राज।
4. श्री के.के.शर्मा, अधीक्षण अभियंता (ग्रावि), ग्रामीण विकास।
5. श्री हितब्बलभ शर्मा, अधिशाषी अभियंता,ईजीएस, प्रभारी अधिकारी श्रीयोजना ग्रावि।
6. श्री लोकेश पूनिया परियोजना अधिकारी (अभि.), ग्रामीण विकास
7. श्री ओपी शर्मा सहायक अभियन्ता ग्रावि।

बैठक के दौरान चर्चा के मुख्य बिन्दु एवं लिए गये निर्णय/निदेश निम्नानुसार है।

1. बैठक में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि द्वारा पूर्व में तकनीकी अनुमोदन सगिति की आयोजित बैठको में लिए गये मुख्य निर्णय/बिन्दुओ एवं वर्तमान स्थिति के सम्बंध में विस्तार से अवगत कराया गया।

2. बीएसआर साफ्टवेयर के दर विश्लेषण में पाई गई विसगति आदि के निराकरण बाबत चयनित जिलो के अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा चिन्हिकरण , परीक्षण आदि कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिये गये।

3. जिलो द्वारा निर्धारित दरो की तुलना पर काफी अन्तर पाये जाने की समीक्षा पर पूर्व में दिये गये निर्देशों के उपरान्त सुसगत दर नही करने पर गम्भरीता सेलिया गया। साफ्टवेयर में श्रम/सामग्री की बेसिक दर जिला द्वारा अधिक निर्धारण की स्थिति मे दल प्रस्तावित करने वाले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने व उनके विरूद्ध शीघ्र अनुशात्मक कार्यवाही करने के निदेश दिये गये। साथ ही भविष्य में सुसंगत दरो का निर्धारण कराने बाबत निर्देशित दिये गये।

4. आगामी वर्ष 2016–17 की बीएसआर दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी रूप से लागू कराने एवं निविदा आदि कार्यवाही यथा समय पूर्ण कराने बाबत एक टाईम शिडपूल तैयार कर जिलो को जारी करने के निर्देश दिये गये।

5. अधीक्षण अभियंता (ग्रावि) द्वारा अवगत कराया गया कि बीएसआर साफ्टवेयर के समुचित रखाव व अपडेशन आदि कार्य हेतु कम्प्यूटर इंजीनियर की व्यवस्था के कम में निक्सी के माध्यम से लगाये जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा असहमति व्यक्त की हैं। इसी स्थिति

मे नरेगा में कार्यरत योग्य व दक्ष एमआईएस मेनेजर को लगाये जाने का निर्णय लिया गया। अधीक्षण अभियंता (प्रो.) द्वारा पूर्व में साफ्ट वेयर तेयार करने वाले एमआईएस मैनेजर श्री पियूष शर्मा को ही लगाने का सुझाव दिया गया। इस पर शासन सचिव महोदय द्वारा सहमति व्यक्त गईं।

6. श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.01.2015 के द्वारा अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल श्रमिक आदि की न्यूनतम दर निर्धारित की जाती है।विभाग द्वारा अकुशल श्रर्मिको को न्यूनतम दर दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अद्धकुशल/कुशल श्रर्मिक श्रम विभाग की न्यूनतम दर पर श्रर्मिक कुछ जिलों में उपलब्ध नही हो पाते है। ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान अनुसार कुशल श्रर्मिको की दर सम्बंधित जिला दर निर्णायक समिति द्वारा निर्धरित की जा रही है जो कि न्यूनतम मजदूरी दर से अधिक होती है। अर्द्धकुशल श्रर्मिको की दर निर्धारण करने का कोई प्रावधान नही है। इस सम्बंध में श्रम विभाग में अधिकारियो के साथ बैठक कराने का निर्देश दिये गये।

अतः मे बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजि सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
2. अति0 मुख्य अभियन्ता, पंचायती राज।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास।
4. अधिशाषी अभियन्ता (ईजीएस) एवं प्रभारी अधिकारी, श्री योजना, ग्रामीण विकास।
5. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
6. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि), ग्रामीण विकास।
7. परियोजना अधिकारी (अभि.) ग्रामीण विकास।
8. PD (M&E) को website पर upload करने हेतु

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)